(5)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–16/2017–18

मिक्कु कुमार राय वगैरह बनाम अंचलाधिकारी, बिहटा एवं राम निवास सिंह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

03/05/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 49/2015–16 में दिनांक 24.03.2017 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्नानुसार है।

प्रथम पक्ष :

1. श्री मिक्कु कुमार राय
2. श्री पिन्टु कुमार राय, दोनों के पिता स्व0 जगदीश राय, ग्राम–नेऊरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना।

द्वितीय पक्ष

1. अंचलाधिकारी, बिहटा
2. श्री राम निवास सिंह, पिता स्व0 यमुना सिंह, ग्राम–नेऊरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना, वर्तमान ग्राम–हाजीपुर, थाना–बड़हरा, जिला–भोजपुर।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
बिहटा	नेऊरा	104	88	96	11 डी0
			109	1562	4 कट्ठा

आवेदकगण का संक्षेप में कथन है कि

(1) विवादित भूखण्ड स्व0 पान कुंवर देवी की स्व अर्जित सम्पति थी। स्व0 पान कुंवर देवी को अपनी कोई संतान नहीं थी। आवेदकगण उनकी देखभाल करते थे, जिससे प्रसन्न होकर श्रीमती पान कुँवर देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 14.09.2007 को आवेदकगण के नाम से वसीयत कर दी गयी।

(2) श्रीमती पान कुंवर देवी की दिनांक 16.02.2009 को मृत्यु हो गयी। पान कुंवर देवी की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के आधार पर आवेदकगण के नाम से दाखिल खारिज वाद 2743/2011–12 के द्वारा विवादित भूखण्ड की जमाबंदी कायम की गयी।

(3) आवेदकगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0 $\frac{315}{1}$ को रद्द करने हेतु इस वाद के विपक्षी के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा विविध वाद सं0 03/2012–13 आरम्भ किया गया। उभय पक्षों की सुनवाई कर

(मनीष)

अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा वसीयत का प्रोबेट होने तक मिक्कु कुमार राय एवं पिन्टु कुमार राय के नाम से कायम जमाबंदी को स्थगित रखने का आदेश दिया गया।

(4) राम निवास सिंह (इस वाद के विपक्षी) के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 2743/2011–12 एवं विविध वाद सं0 03/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 77/2012–13 दायर किया गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 2743/2011–12 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा विविध वाद सं0 03/2012–13 में पारित आदेश को सम्पुष्ट कर दिया गया।

(6) आवेदकगण के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश–I पटना से प्रोबेट आदेश प्राप्त करने के पश्चात अंचलाधिकारी, बिहटा से जमाबंदी सं0 $\frac{315}{1}$ को पुनः चालू करने का अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1623/2015–16 के अन्तर्गत आवेदकगण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

(7) अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1623/2015–16 में दिनांक 30.11.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 49/2015–16 दायर किया गया।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए, अपने दिनांक 24.03.2017 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(9) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 49/2015–16 में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश को अवैध एवं गलत बताते हुए, निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी राम निवास सिंह का कहना है कि

(1) पान कुँवर देवी, पिता स्व0 रामायण भगत, ग्राम–नेऊरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना का विवाह वर्ष 1960 में यमुना सिंह से हुआ था, जिनसे एक पुत्र राम निवास सिंह हुए। यमुना सिंह पटना समाहरणालय में नौकरी करते थे, जहां से वह सेवा निवृत हुए।

(2) यमुना सिंह के द्वारा अपनी पत्नी के नाम से विवादित भूखण्डों की खरीद वर्ष 1978 एवं 1979 में की गयी। खरीदगी के बाद से ही यमुना सिंह विवादित भूखण्ड पर दखलकार रहे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र राम निवास सिंह (इस वाद के विपक्षी) दखल में आये।

(3) विवादित भूखण्ड की लगान रसीद पान कुंवर देवी के नाम से निर्गत होती थी। पान कुँवर देवी की मृत्यु के पश्चात राम निवास सिंह का नाम सरकारी सरिश्ता में दर्ज हुआ तथा राम निवास सिंह सरकार को लगान अदा करने लगे। राम निवास सिंह के नाम से लगान रसीद निर्गत

होने लगी।

(4) पान कुंवर देवी के चार भाई गनौरी राय, जगदीश राय, कुलदीप राय एवं चन्द्रदीप राय थे। इस वाद के आवेदकगण मिक्कु राय एवं पिन्टु राय, जगदीश राय के पुत्र हैं।

(5) यमुना सिंह के द्वारा अपने साले चन्द्र दीप राय के पुत्र रंजीत कुमार, संजीत कुमार एवं धर्मजीत कुमार को विवादित भूखण्ड की देखभाल एवं अन्य कार्यों के लिए अपने पास रखे हुए थे। इस वाद के आवेदकगण को यह बात बुरी लगी और उनके द्वारा विवादित भूखण्ड को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया।

(6) तथाकथित वसीयतनामा जालसाजी से तैयार किया गया तथा प्रोवेट आदेश भी न्यायालय को अंधकार में रखकर प्राप्त किया गया। जब इस वाद के विपक्षी को प्रोवेट के बारे में जानकारी हुई, तो उसे रद्द करने हेतु जिला जज, पटना के न्यायालय में Revocation Case no. 6/2018 दायर किया गया है।

(7) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 49/2015–16 में पारित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए, इस पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) CWJC No. 1477/1973 एवं 1484/1973 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.09.1976 का आदेश

(2) मिक्कु राय एवं पिन्टु राय के द्वारा दाखिल प्रोवेट वाद सं0 226/2011 की याचिका

(3) Revocation Case no. 6/2018 के Index की प्रति

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) विवादित भूखण्ड की जमाबंदी पूर्व से पान कुँवर देवी के नाम से कायम थी। दिनांक 14.09.2007 के वसीयतनामा के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 2743/2011–12 के अन्तर्गत आवेदकगण के नाम से जमाबंदी कायम हो गयी।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 2743/2011–12 के आदेश पर विपक्षी राम निवास सिंह के द्वारा आपति की गयी तो अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा विविध वाद सं0 03/2012–13 के अन्तर्गत प्रोवेट आदेश आने तक आवेदकगण की जमाबंदी पर रोक लगा दी गयी।

(3) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 77/2012–13 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अंचलाधिकारी के दाखिल खारिज वाद सं0 2743/2011–12 के आदेश को निरस्त तथा विविध वाद सं0 03/2012–13 के आदेश को सम्पुष्ट किया गया।

(4) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा प्रोवेट वाद सं0 226/2011 में दिनांक 29.03.2014/20.05.2014 को पारित आदेश के आधार पर अपने नाम से लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1623/2015–16 के अन्तर्गत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अंचलाधिकारी, बिहटा के दिनांक 30.11.2015 के आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय अपील वाद सं0 49/2015–16 दायर किया गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपने दिनांक 24.03.2017 के आदेश से अपील इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी कि पूर्व में विवादित भूखण्ड के संबंध में उनके न्यायालय से आदेश पारित किया जा चुका है। उनके द्वारा अपने ही आदेश पर पुर्नविचार नहीं किया जा सकता।

(6) इस वाद के विपक्षी राम निवास सिंह के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पान कुँवर देवी की मृत्यु के पश्चात सरकारी सरिस्ता में पान कुंवर देवी के स्थान पर उनका नाम दर्ज किया गया एवं उनके नाम से लगान रसीद निर्गत होने लगी, परन्तु विपक्षी के द्वारा साक्ष्य के रूप में ऐसी किसी लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल नहीं की गयी।

(7) पान कुंवर देवी के द्वारा इस वाद के आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 14.09.2007 को की गयी, वसीयत का प्रोबेट हो चुका है। उक्त प्रोवेट आदेश अभी तक किसी सक्षम न्यायालय से रद्द नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रोवेट के आधार पर इस वाद के आवेदकगण के नाम से विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज किया जाना विधि सम्मत है।

(8) विपक्षी राम निवास सिंह के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित भूखण्ड पर उनका दखल–कब्जा रहा है, अथवा पान कुंवर देवी की मृत्यु के उपरान्त उनके नाम से लगान रसीद निर्गत की गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त दाखिल खारिज वाद सं0 1623/2015–16 में पारित दिनांक 30.11.2015 एवं दाखिल खारिज अपील वाद सं0 49/2015–16 में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अंचलाधिकारी, बिहटा को प्रोवेट वाद सं0 226/2011 में दिनांक 29.03.2014/20.05.2014 को पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश प्रति अंचलाधिकारी, बिहटा को भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

(नवीन)